

**लोक शिक्षण संचालनालय**  
**मध्यप्रदेश**

क्रं./शि.क./संवि./ए/128/2011/985

भोपाल, दिनांक 15/11/11

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग एवं पारस्परिक आधार पर अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	वर्तमान में कार्यरत निकाय	निकाय का नाम जिसमें संविलियन की अनुमति दी गई है	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती स्नेहलता ठाकुर सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. हीरापुर जिला खण्डवा	AO1996	232903041 01	जनपद पंचायत छैगांवमाखन जिला खण्डवा जा.क्र.2869दि. 14.09.11	जनपद पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र.3340दि. 24.08.11 शा.प्रा.शा. सातमिल	232605006 02
2	कुमारी नम्रता पाण्डे सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. सिविल वार्ड मंडला जिला मंडला	AP6474	234201195 01	नगरपालिका परिषद मण्डला जिला मण्डला जा.क्र.351 दि. 08.07.11	जनपद पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र.3311दि. 23.08.11 शा.मा.शा. भिचोली हप्सी	232605016 02
3	श्री महीपत अहिरवार (नि:शक्त) सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. नारायण पुरा जिला राजगढ़	AU4593	23300220001	जनपद पंचायत ब्यावरा जिला राजगढ़ जा.क्र.574 दि. 04.06.11	जनपद पंचायत दतिया जिला दतिया जा.क्र.2239दि. 31.05.11 शा.प्रा.शा. महाराजपुर	230501006 02
4	श्री भरत कुमार साहू (नि:शक्त) अध्यापक शा.मा.वि. पौडीकला जिला जबलपुर	AB6164	233905148 03	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र.2225दि. 17.06.11	नगर पंचायत तेंदूखेड़ा जिला दमोह जा.क्र.137 दि. 30.06.11 शा.बा.मा.शा. तेंदूखेड़ा	231205001 08
5	श्री इंदरसिंह ठाकुर अध्यापक (विज्ञान) शा.मा.शा. निमनपुर जिला देवास	BK3321	232304130 02	जिला पंचायत देवास जिला देवास जा.क्र.945 दि. 01.08.11	जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र.2929दि. 06.08.11 शा.हाईस्कूल छापरा	233301271 03
6	श्रीमती अर्पणा तिवारी वरि. अ. (इतिहास) शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा	AG7350	234309777 04	जिला पंचायत छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा जा.क्र.1996-एदि.14.06.11	जिला पंचायत सिवनी जिला सिवनी जा.क्र.2132दि. 25.07.11 शा.क.उ.मा.वि. छपारा	234405999 04

13

7 प र र क	श्री मांगीलाल चौहान अध्यापक शा.मा.शा. उमरिया जागीर जिला उज्जैन	BE4607	232101009 02	जिला पंचायत उज्जैन जिला उज्जैन जा.क्र.11896दि.05.09.11	जिला पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र.833 दि. 08.07.11 शा.मा.शा. मंगवालिया	232201120 02
	श्री अजय सिंह चौहान अध्यापक शा.मा.शा. मंगवालिया जिला शाजापुर	AZ7936	232201120 02	जिला पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र.833 दि. 08.07.11	जिला पंचायत उज्जैन जिला उज्जैन जा.क्र.11896दि.05.09.11 शा.मा.शा. उमरिया जागीर	232101009 02
8	श्रीमती रजनी बांगड़े सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. घूरवाड़ा जिला सिवनी	AF2214	234406080 01	जनपद पंचायत लखनादौन जिला सिवनी जा.क्र.899 दि. 22.09.11	जनपद पंचायत चीचली जिला नरसिंहपुर जा.क्र.309 दि. 16.09.11 शा.प्रा.शा. खैरी (सुदरास)	234002059 01
9	श्रीमती रंजीता राय सहायक अध्यापक शा.आश्रम शा. कटंगी जिला डिण्डोरी	AJ8903	23411613901	जनपद पंचायत शहपुरा जिला डिण्डोरी जा.क्र.656 दि. 08.07.11	जनपद पंचायत सिवनी जिला सिवनी जा.क्र.986-ए दि.02.08.11 शा.प्रा.शा. नारायणगंज	234401192 01
10	श्रीमती मिथलेश चावड़ा सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. धारियाखेड़ी जिला मंदसौर	BH4686	231906017 01	जनपद पंचायत मंदसौर जिला मंदसौर जा.क्र.2575दि. 26.07.11	जनपद पंचायत नीमच जिला नीमच जा.क्र.2140दि. 20.07.11 शा.प्रा.शा. कनाखेड़ा	231807037 01
11	श्रीमती विमलेश कटारे सहायक अध्यापक शा.शि.गा.शा. कठवरयापुरा जिला टीकमगढ़	BO7417	230801028 04	जनपद पंचायत बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ जा.क्र.2497दि. 25.08.11	जनपद पंचायत पवई जिला पन्ना जा.क्र.2591दि. 12.09.11 शा.आदिवासी बालक - आश्रम सुनेही	231004037 01
12	श्रीमती शीतल चौहान सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. तारपुरा जिला धार	AJ5622	232509035 03	जनपद पंचायत नालछा जिला धार जा.क्र.3831दि. 02.09.11	जनपद पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र.3474दि. 05.09.11 शा.प्रा.शा. खुडेल खुर्द	232605115 01
13	श्री उदयभान सिंह (निःशक्त) सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. दौनी जिला छतरपुर	AG1657	230906088 02	जनपद पंचायत लवकुश नगर जिला छतरपुर जा.क्र.869 दि. 29.06.11	जनपद पंचायत अटैर जिला भिण्ड जा.क्र.1151दि. 01.07.11 शा.बा.प्रा.शा. पिड़ोरा	230306114 01
14	श्रीमती पवन डेहरिया सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. लखनी जिला दमोह	AI1143	231206072 01	जनपद पंचायत जबेरा जिला दमोह जा.क्र.905 दि. 09.09.11	जनपद पंचायत अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा जा.क्र.563 दि. 23.08.11 शा.प्रा.शा. चनेरी	234309073 01
15	श्रीमती दीपमाला परमार अध्यापक शा.मा.शा. कडवाला जिला शाजापुर	AZ7901	232201112 02	जिला पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र.1982दि. 16.05.11	नगरपालिक निगम उज्जैन जिला उज्जैन जा.क्र.330 दि. 24.08.11 शा.उ.मा.वि. महाराजवाड़ा क्रमांक-3 उज्जैन	232107777 03

17	श्रीमती कविता चौधरी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. कचनारिया जिला शाजापुर	BA2262	232202026 01	जनपद पंचायत नलखेड़ा जिला शाजापुर जा.क्र.1104दि. 23.08.11	जनपद पंचायत जावद जिला नीमच जा.क्र.3760दि. 29.07.11 शा.प्रा.शा. धनगांव	231803007 02
18	श्री विजेन्द्र परमार (नि:शक्त) सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. गुराडदा जिला देवास	BH3572	232304127 01	जनपद पंचायत बागली जिला देवास जा.क्र.1001दि. 23.05.11	जनपद पंचायत आष्टा जिला सीहोर जा.क्र.2028दि. 03.08.11 शा.प्रा.शा. खानदौरा पुरा	233301115 01
19	श्रीमती पीतेश्वरी सोनवाने अध्यापक शा.उ.मा.वि. पाडिया छपारा जिला सिवनी	AZ5067	234403777 05	जिला पंचायत सिवनी जिला सिवनी जा.क्र.2568दि. 10.08.11	जिला पंचायत बालाघाट जिला बालाघाट जा.क्र. 5015दि.09.08.11 शा.हाईस्कूल कजई	234506666 11
20	कुमारी नेहा शर्मा (नि:शक्त) सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. सुनवाहा जिला छतरपुर	AF5784	230902064 02	जनपद पंचायत बकरवाहा जिला छतरपुर जा.क्र.2493दि. 20.09.11	तगर बलिष्ठा करिबद अम्बाह जिला मुरैना जा.क्र.2454दि. 30.09.11 शा.बा.प्रा.शा. अम्बाह	230202077 06

#### संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। पदांकन आदेश जारी नहीं होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।


*m*

11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।


“ आयुक्त द्वारा अनुमोदित ”

पृष्ठा. क्रं./शि.क./संवि./ए/128/2011/986  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

  
सहायक संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 15/11/11

  
सहायक संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

**लोक शिक्षण संचालनालय**  
**मध्यप्रदेश**

क्रं./शि.क./संवि./ए/106/2011/976

भोपाल, दिनांक 8/11/11

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग एवं पारस्परिक आधार पर अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/ जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था/ जिले का डाईस कोड	वर्तमान में कार्यरत निकाय	निकाय का नाम जिसमें संविलियन की अनुमति दी गई है	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री राजेश कुमार पटेल (निःशक्त) वरि.अ. (भौतिक शास्त्र) शा.उ.मा.वि. गोहपारु जिला शहडोल	BH9459	231604999 05	जिला पंचायत शहडोल जिला शहडोल जा.क्र.5269दि. 15.07.11	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र.4227दि. 01.02.11 शा.उ.मा.वि. शिवपुरा	231401777 15

**संविलियन की शर्तें :-**

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। पदांकन आदेश जारी नहीं होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।

9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
  10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
  11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।
- “ आयुक्त द्वारा अनुमोदित ”



सहायक संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक

पृष्ठा. क्रं./शि.क./संवि./ए/106/2011/977  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

0/1



सहायक संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश